

LOK SABHA

Saturday, December 16, 1967/
Agrahayana 25, 1889 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the
Clock.

[MR. SPEAKER in the Chair]

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY
GRANTS (HARYANA), 1967-68

THE DEPUTY MINISTER IN THE
MINISTRY OF FINANCE (SHRI
JAGANNATH PAHADIA): Sir, on
behalf of Shri Morarji Desai, I beg
to present a statement showing Sup-
plementary Demands for Grants in
respect of the State of Haryana for
1967-68.

COMMITTEE ON ABSENCE OF
MEMBERS FROM SITTINGS OF
THE HOUSE

THIRD REPORT

SHRI THIRUMALA RAO (Kaki-
nada): Sir, I beg to present the Third
Report of the Committee on Absence
of Members from the Sittings of the
House.

11.02 hrs.

BUSINESS OF THE HOUSE

संसद् कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम
सुभग सिंह): 18 दिसम्बर, 1967 से
आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिये निम्न
सरकारी कार्य लिया जायेगा :—

- (1) आज के सरकारी कार्यक्रम की
किसी अवशिष्ट मद पर विचार
करना ।
- (2) निम्न अनुदानों पर चर्चा तथा
मतदान —
1967-68 वर्ष के लिए मणीपुर
के अनुदानों की अनुपूरक मांगें ।
- (3) भारतीय टेरिफ़ (संशोधन) विधेयक,
1967 पर विचार तथा पास
करना,

B. O. H.

- (4) 1967-68 वर्ष के लिये हरियाणा
की अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर
विचार तथा मतदान लिया जाना ।
- (5) निम्न विधेयकों पर विचार तथा
पास करना—
अत्यावश्यक वस्तु (दूसरा संशोधन)
विधेयक, 1967 प्रवर समिति
द्वारा प्रतिवेदित रूप में ।
बिहार और उत्तर प्रदेश (सीमाओं
में परिवर्तन) विधेयक, 1967 ।
- (6) अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति तथा इस सम्बन्ध
में भारत सरकार की नीति पर,
प्रधान मंत्री के प्रस्ताव पर विचार
करना ।
- (7) हरियाणा राज्य विधेयक विधान
मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन)
विधेयक, 1967 राज्य सभा द्वारा
पास किये गए रूप पर विचार
तथा पास करना ।
- (8) एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक
व्यापार प्रक्रिया विधेयक 1967
को संयुक्त समिति को सौंपने के
लिये राज्य सभा की सिफारिश
से सहमति के प्रस्ताव पर विचार
करना ।
- (9) निम्न विधेयकों पर विचार तथा
पास करना—
कीटनाशी विधेयक, 1967 राज्य
सभा द्वारा पास किये गए रूप में,
औद्योगिक विवाद (संशोधन)
विधेयक, 1967 राज्य सभा द्वारा
पास किये गये रूप में,
मातृत्व प्रसुविधा (संशोधन)
विधेयक, 1967 राज्य सभा द्वारा
पास किये गये रूप में,
विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा
पुनर्वास) संशोधन विधेयक, 1967 ।